

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।  
पत्रांक 2149 / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: दिसम्बर, 31, 2018

सेवामें,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं0- 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 154/अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 20.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण कर, संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

S.No.	Observation	REPLY
1	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई(3) पर 35 मानव दिवस अंकित किये गये हैं। क्या 35 मानव दिवस में परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी ? सूचना संशोधित करें।	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई(3) पर मानव दिवसों की संख्या संशोधित कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति की वैधता समाप्त हो चुकी है। वैध प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैध अनापत्ति संलग्न है।
3	प्रस्ताव के साथ संलग्न अनेकों अभिलेखों पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है। समस्त पृष्ठों पर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित करें।	प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों पर पृष्ठ संख्या संशोधित कर दी गयी है।
4	प्रस्ताव के साथ विषय-सूची संलग्न नहीं है। संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ विषय सूची संलग्न कर दी गयी है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0डी0त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए-5, सैक्टर-3, नोएडा।

(एस0डी0त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।